अध्याय-III: मोटर वाहनों पर कर

3.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग, वाहनों के पंजीयन, वाहनों के लिए अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने तथा राज्य में संचालित वाहनों पर नियंत्रण की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी है। विभाग, चालकों, परिचालकों एवं व्यवसायियों को अनुज्ञापत्र तथा वाहनों के उपयुक्तता (फिटनेस) प्रमाण-पत्र भी जारी करता है। मोटरयान अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989, राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951, राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 तथा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के प्रावधानों के अधीन करारोपण तथा कर, फीस एवं शास्ति की वसूली विभाग के अन्य उत्तरदायित्व हैं। विभाग में वाहनों के पंजीयन एवं उपयुक्तता प्रमाण-पत्र, अनुज्ञापत्र स्वीकृत करना, कर, फीस, शास्ति आदि की वसूली से सम्बन्धित कार्य कम्प्यूटराईज्ड कर दिये गये हैं।

परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग में विभागाध्यक्ष होता है। उसकी सहायता के लिए पांच अतिरिक्त परिवहन आयुक्त तथा 13 उपायुक्त होते हैं। सम्पूर्ण राज्य 11 क्षेत्रों में विभाजित है जिनमें प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं पदेन सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, कार्यालय प्रमुख होते हैं। इसके अलावा 37 वाहन पंजीयन एवं कराधान कार्यालय है जिनमें जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय प्रमुख होते हैं।

3.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान मोटर वाहनों पर कर से प्राप्तियों के साथ राज्य की कुल कर प्राप्तियों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	मोटर वाहनों पर कर से वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर आधिक्य(+)/ कमी (-)	अन्तर की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	3 का 6 से प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008-09	1,200.00	1,213.56	(+) 13.56	(+) 1.13	14,943.75	8.12
2009-10	1,300.00	1,372.87	(+) 72.87	(+) 5.61	16,414.27	8.36
2010-11	1,500.00	1,612.25	(+) 112.25	(+) 7.48	20,758.12	7.77
2011-12	1,725.00	1,927.05	(+) 202.05	(+)11.71	25,377.05	7.59
2012-13	2,225.00	2,283.13	(+) 58.13	(+) 2.61	30,502.65	7.48

राज्य की कुल कर प्राप्तियों की तुलना में मोटर वाहनों पर कर से प्राप्तियों की प्रतिशतता में वर्ष 2009-10 को छोड़कर प्रत्येक वर्ष गिरावट रही है। वर्ष 2012-13 में ये प्राप्तियाँ राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ का 7.48 प्रतिशत दर्ज की गई।

3.3 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 2013 को राजस्व की बकाया की स्थिति दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1 अप्रेल 2012 को कुल बकाया का प्रारम्भिक शेष	वर्ष 2012-13 के दौरान वसूली	31 मार्च 2013 को बकाया वसूली का अन्तिम शेष
2007-08 तक	22.11	1.69	20.42
2008-09	6.01	0.55	5.46
2009-10	3.41	0.46	2.95
2010-11	3.91	0.66	3.25
2011-12	18.97	4.98	13.99
योग	**54.41**	**8.34**	**46.07**

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि ₹ 20.42 करोड़ की बकाया राशि पांच वर्षो से अधिक समय से बकाया है तथा समय बीतने के साथ उसकी वसूली की सम्भावना कम है।

यह सुझाव है कि सरकार द्वारा निश्चित अवधि में बकाया की वसूली हेतु विभाग को इस सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किये जाने चाहिए।

3.4 संग्रहण की लागत

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर हुआ व्यय तथा ऐसे व्यय की कुल संग्रहण से प्रतिशतता के साथ इसी अवधि में संग्रहण पर हुए व्यय की सुसंगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	सकल संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर हुआ व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	2008-09	1,213.56	29.25	2.41	2.93
2.	2009-10	1,372.87	27.04	1.97	3.07
3.	2010-11	1,612.25	30.82	1.91	3.71
4.	2011-12	1,927.05	40.65	2.11	2.96
5.	2012-13	2,283.00	40.45	1.77	उपलब्ध नहीं

यह देखा गया कि मोटर वाहनों पर कर के संग्रहण पर व्यय की कुल संग्रहण मे प्रतिशतता, अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता की तुलना में हमेशा कम रही।

3.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

गत पाँच वर्षो के दौरान (2007-08 से 2011-12) निम्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के द्वारा ₹120.52 करोड़ राजस्व के 25 अनुच्छेदों में अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, कम निर्धारण/राजस्व की हानि, कर की गलत दर लागू करना, कर की गलत गणना आदि के मामले ध्यान में लाये थे। उनमें से विभाग/सरकार ने पूर्ण/अंशत: ₹ 88.68 करोड़ राशि के 21 अनुच्छेद स्वीकार किये तथा अब तक (दिसम्बर 2013) 18 अनुच्छेदों में ₹ 32.64 करोड़ की वसूली की, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकार किये गये अनुच्छेद		वसूली गई राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	अनुच्छेदों की संख्या	राशि
2007-08	9	25.15	8	21.50	8	16.07
2008-09	3	47.75	2	19.98	1	0.79
2009-10	4	15.02	4	14.82	3	6.80
2010-11	5	16.72	5	16.72	4	4.75
2011-12	4	15.88	2	15.66	2	4.23
योग	**25**	**120.52**	**21**	**88.68**	**18**	**32.64**

विभाग द्वारा कुल स्वीकार राशि में से सिर्फ 36.80 प्रतिशत राशि ही वसूल की गई हैं।

सरकार को, लेखापरीक्षा अनुच्छेदों में सन्निहित राशि को प्राथमिकता से वसूल करने हेतु विभाग को निर्देश जारी करने चाहिए विशेषत: ऐसे प्रकरणों, जिन्हें विभाग ने पूर्व में ही स्वीकार कर लिया हो।

3.6 आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली

वित्तीय सलाहकार, आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह का शीर्ष अधिकारी होता है तथा उसकी सहायता एक वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं दो लेखाधिकारी करते हैं। विभाग में पाँच आन्तरिक लेखापरीक्षा दल कार्यरत हैं, जिनके प्रभारी सहायक लेखाधिकारी होते है। गत पाँच वर्षों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा हेतु नियत इकाइयाँ	लेखापरीक्षा हेतु कुल नियत इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा की गई इकाइयाँ	इकाइयाँ जिनकी लेखापरीक्षा नहीं हुई	कमी प्रतिशत में
2008-09	4	79	83	67	16	19
2009-10	16	79	95	89	6	6
2010-11	6	43	49	49	-	-
2011-12	-	43	43	43	-	-
2012-13	-	43	43	43	-	-

यह पाया गया कि वर्ष 2012-13 के अन्त में अवधि 2012-13 तक के 11,234 अनुच्छेद बकाया थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	1991-92 से 2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
अनुच्छेद	7,358	585	725	731	832	1,003	**11,234**

आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अवधि 2007-08 तक के 7,358 आक्षेप बकाया थे। इस प्रकार, बड़ी संख्या में बकाया अनुच्छेद इस बात की ओर संकेत करते है कि विभाग को आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बकाया आक्षेपों के निस्तारण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

सरकार को, आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा उठाये गये बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निपटारे के लिए समुचित निर्देश जारी करने चाहिए।

3.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2012-13 के दौरान कुल 44 इकाइयों में से 22 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच में 5,898 प्रकरणों में ₹ 16.05 करोड़ राशि की अनियमितताओं का पता चला, जो निम्नलिखित श्रेणियों में आती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	कर, शास्ति, ब्याज एवं प्रशमन फीस की अवसूली/कम वसूली	3,716	8.88
2.	मोटर वाहन कर/विशेष पथकर की संगणना न करना/कम करना	2,082	7.14
3.	अन्य अनियमितताएं	100	0.03
योग		**5,898**	**16.05**

विभाग ने 5,680 प्रकरणों में ₹ 7.02 करोड़ के कम निर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 2.73 करोड़ के 797 प्रकरण वर्ष 2012-13 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2012-13 के दौरान 2,176 प्रकरणों में ₹ 4.97 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिसमें से ₹ 0.68 करोड़ के 238 प्रकरण 2012-13 में तथा शेष ₹ 4.29 करोड़ के 1,938 प्रकरण पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

कुछ निदर्शी लेखापरीक्षा टिप्पणियां जिनमें ₹ 10.66 करोड़ सन्निहित है, को अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाया गया है।

3.8 लेखापरीक्षा टिप्पणियां

परिवहन विभाग में अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान कर, फीस एवं शास्ति के अनारोपण के कई प्रकरण हमारे ध्यान में आये। उनमें से कुछ आक्षेप पूर्ववर्ती वर्षो में ध्यान में लाये गये थे, लेकिन ये अनियमितताएं वर्ष प्रति वर्ष न केवल विद्यमान थी, अपितु लेखापरीक्षा करने तक इनका पता नहीं लगा। ये प्रकरण निदर्शी हैं तथा लेखापरीक्षा द्वारा की गयी मापक जाँच पर आधारित हैं। यह पाया गया कि कर, फीस एवं अन्य प्रभारों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए पंजीकृत वाहनों के कर खातों के समुचित संधारण के अनुश्रवण हेतु विभाग में कोई कम्प्यूटरीकृत प्रणाली विद्यमान नहीं थी। इसके अलावा वाहनों की संख्या, जिन पर कर देय था लेकिन वसूल नहीं हुआ, को दर्शाने वाली विवरणी निर्धारित नहीं थी। यहाँ पर आन्तरिक लेखापरीक्षा को प्रभावी बनाने सहित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सशक्त करने तथा कर, फीस आदि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सामयिक विवरणियों के माध्यम से निगरानी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

3.9 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम एवं नियमों में प्रावधान है कि:

(क) सभी मोटर वाहनों, जिनका राज्य में उपयोग किया गया है अथवा जो उपयोग हेतु रखे गये हैं, पर कर का आरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जावे;

(ख) सभी परिवहन वाहनों पर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से एकमुश्त कर का आरोपण हो; तथा

(ग) विशेष पथकर तथा कर पर अधिभार का निर्धारित दर से आरोपण किया जावे।

अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान यह ध्यान में आया कि अनुच्छेद 3.9.1 से 3.9.3 में दर्शाये गये प्रकरणों के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रावधानों में से कुछ को विभागीय प्राधिकारियों ने ध्यान में नहीं रखा।

3.9.1 मोटर वाहनों पर कर की वसूली नहीं करना

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 और 4-बी तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार सभी मोटर वाहनों, जिनका राज्य में उपयोग किया गया है अथवा जो उपयोग हेतु रखे गये हैं, पर मोटर वाहन कर, विशेष पथ कर का आरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, दिनांक 9 मार्च 2011 की अधिसूचना के अनुसार 5 प्रतिशत अधिभार कर उन वाहनों पर भी देय है जो एकमुश्त कर का भुगतान नहीं कर रहे है।

19 प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों/ जिला परिवहन कार्यालयों के 2009-10 से 2011-12 की अवधि के पंजीयन अभिलेखों, कर खातों एवं सामान्य सूची पंजिकाओं की मापक जांच के दौरान पाया (मई 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य) कि 3,705 वाहनों के सम्बन्ध में इनके स्वामियों द्वारा अप्रेल 2009 तथा मार्च 2012 के मध्य की अवधि के लिए मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर का भुगतान या तो नही किया गया अथवा कम किया गया। अभिलेखों में इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं पायी गई कि उक्त वाहन सड़क पर नहीं चले थे अथवा इनकी देयता अन्य कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित कर दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप नीचे दर्शायेनुसार कर व अधिभार राशि ₹ 10.12 करोड़ की अवसूली/कम वसूली रही:

क्र. सं.	वाहनों की श्रेणी	वाहनों की संख्या	कर की अवधि	राशि (₹ करोड़ में)	कार्यालयों का नाम
1.	भार वाहन	1,434	अप्रेल 2009 से मार्च 2012	2.66	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेर, अलवर, बीकानेर, चित्तौडगढ, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय, झुन्झुनू, कोटपुतली, पाली, जयपुर (भार वाहन), डीडवाना, सवाईमाधोपुर, बारां, रामगंजमण्डी, करौली, जैसलमेर एवं बाड़मेर।
2.	संविदा वाहन (चालक को छोडकर 13 व्यक्तियों तक की बैठक क्षमता वाले)	1,168	अप्रेल 2009 से मार्च 2012	2.28	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अलवर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर एवं पाली; जिला परिवहन कार्यालय, झुन्झुनू, कोटपुतली, सवाईमाधोपुर, बारां, रामगंजमण्डी, करौली, जैसलमेर एवं बाड़मेर।
3.	संविदा वाहन (चालक को छोडकर 13 व्यक्तियों से अधिक की बैठक क्षमता वाले)	121	अप्रेल 2009 से मार्च 2012	1.94	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुर, उदयपुर, कोटा एवं बीकानेर; जिला परिवहन कार्यालय, झुन्झुनू, कोटपुतली, प्रतापगढ़ एवं बाड़मेर।
4.	मंजिली वाहन	86	अप्रेल 2009 से मार्च 2012	0.51	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अलवर; जिला परिवहन कार्यालय, झुन्झुनू, डीडवाना, करौली एवं बाड़मेर।

क्र. सं.	वाहनों की श्रेणी	वाहनों की संख्या	कर की अवधि	राशि (₹ करोड़ में)	कार्यालयों का नाम
5.	संलग्नक भार वाहन	400	अप्रेल 2009 से मार्च 2012	1.04	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, जोधपुर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय, जयपुर (भार वाहन), कोटपुतली एवं सवाईमाधोपुर।
6.	बिना अनुज्ञा-पत्र के यात्री वाहन	27	अप्रेल 2010 से मार्च 2012	0.26	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुर, बीकानेर; जिला परिवहन कार्यालय, कोटपुतली।
7.	डम्पर/टिप्पर	469	अप्रेल 2009 से मार्च 2012	1.43	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अलवर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा एवं जोधपुर; जिला परिवहन कार्यालय, झुन्झुनू, कोटपुतली, जयपुर (भार वाहन), डीडवाना, बारां, रामगंजमण्डी, प्रतापगढ़, जैसलमेर एवं बाड़मेर।
योग		3,705		10.12	

प्रकरणों के ध्यान में लाये जाने पर (जून 2012 से मार्च 2013 के मध्य) सरकार ने बताया (सितम्बर 2013) कि 945 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 2.04 करोड़ की वसूली कर ली गई और 18 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 0.13 करोड़, यातायात वाहनों के अन्य राज्यों में पंजीकरण हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्रों के जारी किये जाने, पंजीकरण प्रमाण-पत्र के निरस्तीकरण एवं एकमुश्त कर जमा कराने आदि के कारण वसूलनीय नहीं थे। बकाया प्रकरणों पर प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2014)।

3.9.2 एकमुश्त कर की बकाया किस्तों की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4-सी तथा उसके अधीन समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत सभी परिवहन वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से किया जायेगा। एकमुश्त कर का सम्पूर्ण भुगतान एक साथ या एक वर्ष की अवधि में समान तीन किश्तों में किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 9 मार्च 2011 की अधिसूचना के अनुसार 10 प्रतिशत अधिभार कर उन वाहनों पर भी देय है जिन्होंने एकमुश्त कर भुगतान किया है।

तीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों, जोधपुर, उदयपुर, पाली व जिला परिवहन कार्यालय, रामगंजमण्डी, के वर्ष 2009-10 से 2011-12 के अभिलेखों की मापक जांच में यह देखा गया (अक्टूबर 2012 और फरवरी 2013) कि 117 परिवहन वाहनों के स्वामियों द्वारा एकमुश्त कर का भुगतान तीन समान किश्तों में करने का विकल्प दिया गया था। यह देखा गया कि उन वाहनों के स्वामियों ने शेष दो या तीसरी किश्त का

भुगतान या तो नहीं किया अथवा कम किया। कराधान अधिकारियों ने देय कर की राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप एकमुश्त कर की राशि ₹ 49.13 लाख की अवसूली रही।

मामला विभाग और सरकार को दिसम्बर 2012 और सितम्बर 2013 के मध्य ध्यान में लाया गया। सरकार ने बताया कि (अक्टूबर 2013) 37 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 13.68 लाख वसूल किये जा चुके है, जबकि शेष प्रकरणों में वसूली प्रक्रियाधीन है। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित है (फरवरी 2014)।

3.9.3 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथ कर का कम आरोपण

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4-बी के अधीन जारी अधिसूचना संख्या एफ 6/96/परि./कर/मु./III/7डी दिनांक 1 अगस्त 2007 के अनुसार बेड़ा स्वामी के मंजिली वाहनों पर विशेष पथ कर, बेड़े के समस्त वाहनों (नगरीय सीमा में चलने वाले वाहनों को छोड़कर) जिसका उपयोग मंजिली वाहनों के रूप मे किया जाता है या उपयोग हेतु रखे जाते है की चेचिस की लागत का 2.05 प्रतिशत की दर मे देय होगा। आगे, अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2011 के अनुसार 5 प्रतिशत अधिभार उन वाहनों पर भी देय है जो एकमुश्त कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं।

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर के वर्ष 2011-12 अभिलेखों की मापक जांच में (दिसम्बर 2012) यह पाया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के स्वामित्व की 677 मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथ कर का आरोपण, संगणना हेतु चेचिस के कम मूल्यांकन के कारण, कम हुआ। इसके अतिरिक्त, 10 मंजिली वाहनों पर विशेष पथ कर नहीं लगाया गया। परिणामस्वरूप विशेष पथ कर ₹ 5.27 लाख[1] की कम वसूली हुई।

मामले को विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (दिसम्बर 2012 और अक्टूबर 2013); उनके उत्तर प्रतीक्षित रहे (फरवरी 2014)।

1

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	मॉडल	लेखापरीक्षानुसार लागत	ली गई लागत	अन्तर	वाहनों की संख्या	अन्तर मूल्य
1	अशोक लिलैण्ड	11.84	11.65	0.19	665	126.35
2	टाटा मॉडल एल.पी.	11.53	11.38	0.15	12	1.80
3	टाटा मॉडल	11.68	-	11.68	10	116.80
कुल लागत						244.95
कर + देय अधिभार = 2.1525 अन्तर राशि का प्रतिशत। इसलिए, विशेष पथ कर = 244.95 लाख × 2.1525 प्रतिशत = राशि ₹ 5.27 लाख।						